25.03.2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रा. पत्र एवं बहस चक 4BPM, मु. नं. 52, प. नं. 127/419 के कि. नं. 22 व 23 के काश्तकार की कृषि भूमि तक जाने के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं कि. नं. 24, 25 से पूर्व में चल रहे रास्ते को अप्रार्थिया सं. 01 के द्वारा बंद कर दिया गया है। वर्तमान में पंचायती

Scanned with CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स्स जज	नम्बर की तामि
	राजीनामा द्वारा रास्ता मौके पर चालू करवा दिया गया है, किंतु यदि उक्त रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थी काश्तकारों को अपूर्णीय क्षति होगी व अनावश्यक विवाद बढेगा। मुताबिक प्रा-पत्र, शपथ-पत्र एवं बहस, प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः तार्फैसला मूल प्रा-पत्र अप्रार्थिया सं-01 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो कि वह प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 4BPM, मु. नं. 52, प. नं. 127/419 के कि. नं. 22, 23 में आने-जाने हेतु इसी मुरब्बा के कि. नं. 24, 25 में चल रहे रास्ते को बंद ना करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Priyanka उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	